2016/00107 दुर्गेश/शुक्ला (25)

(212)

[illegible] पत्रावली [illegible] तहसील हैसेप
[illegible] मौजा [illegible] गैरमुमकिन खुर्द पर पेश हुई।
विवादित आराजी खसरा नं. 1217 स्थित ग्राम गैरमुमकिन
खुर्द की अमानी मुकदमा शुक्ला बनाम दुर्गेश
[illegible] द्वारा [illegible] के बाद निर्णय
तौर निस्तारण किया जा चुका है। यह दावा अमानी
दुर्गेश बनाम शुक्ला दखल दखिलकार का है विवादित
आराजी शुक्ला के नाम है जिसमें गैर पर कब्जा
काबीज नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण दुष्प्रेरणा के
रूप सुविधा सन्तुलन सामल के पक्ष में प्रतीत होता
है इसलिये गैरमामला की भूमि पर रिकॉर्ड वक्त
यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना
उचित समझा जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार
किया जाता है तथा गैरमामला की जमीन अस्थाई निषेधाज्ञा
मूलवाद निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित
आराजी खसरा नं. 1217 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाले ग्राम गैरमुमकिन
खुर्द तहसील सैंपऊ पर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
पत्रावली कैलाश कुमार होकर मूलवाद की पत्रावली के
साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत .....